

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस.

क्रमांक रीडर/2020/549

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 02/03/20

1 रामाराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी लापलनाडी, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने राजस्व आवेदन संख्या :- 102/2019

1 मांगाराम पुत्र गिरधारी 2 नखमाराम 3 छगनाराम पिसरान पेमाराम जाति मेघवाल 4 गंगरिंह पुत्र खेतसिंह 5 गेनसिंह पुत्र पन्नेसिंह 6 भोमसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी लापलनाडी, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।

दिनांक-25/02/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लापलनाडी पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 845/698 रकबा 11.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 02/03/20

क्रमांक :- रीडर/2020/530 - 53

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रामाराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी लापलनाडी, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मांगाराम पुत्र गिरधारी वगैराह जाति मेघवाल निवासी लापलनाडी, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी

4. विप्रार्थी मांगाराम पुत्र गिरधारी वगैराह जाति मेघवाल निवासी लापलनाडी, नांद तहसील व

Scanned with CamScanner

